रेरा अधिनियमों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कराएं: विवेक

छपरा कार्यालय (एसएनबी)। भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने सारण प्रमंडल के जिलों के जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। "फ्लैट/भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016, को लागू किया गया था। इसलिए, जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है," रेरा बिहार के अध्यक्ष ने यहां रेरा बिहार द्वारा आयोजित एक संवेदीकरण-सह-अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिला प्रशाशन से रेरा अधिनयम के प्रावधानों के अनुपालन करने के लिए रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए पपत्र तैयार किया गया है उसी तर्ज पर अब नगर निकायों, आयोजन क्षेत्रों एवं निबंधन विभाग से भी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रपत्र तैयार किये जायेंगे ताकि प्राधिकरण एवं इन इकाइयों में सूचना का आदान प्रदान नियमित रूप से हो सके तथा रेरा कानून का पालन और प्रभावी ढंग से कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी जिला पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंचलाधिकारी नियमित रूप से रिपोर्ट दें ताकि रेरा अधिनयम के प्रावधानों का उलंघन करने वालों के विरुद्ध करवाई की जा सके. उन्होंने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा में जिला प्रशासन, नगर निकायों, आयोजन क्षेत्रों एवं निबंधन विभाग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें रेरा अधिनियम के प्रावधानों कर उलंघन करने वाले प्रमोटर्स के विषय में प्राधिकरण को सूचित करना है ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सारण के आयुक्त श्री गोपाल मीना ने प्राधिकरण को कार्यशाला आयोजित करने के लिए धन्यवाद् दिया तथा कहा कि प्राधिकरण को यह प्रयास करना चाहिए पार्किंग के स्थल के विषय में भी बिल्डर उचित सूचना दें ताकि घर खरीदार अपनी घर खरीदने से पहले उचित निर्णय ले सकें।

संबोधित करते रेरा के अध्यक्ष एवं अन्य।